छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 216/2009

1. श्री अजय मिश्रा, – अपीलार्थी
अधिवक्ता, सिविल कोर्ट,
कार्यालय करूणा देवी पाण्डे मार्ग,
आजाद चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय तहसीलदार,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 31 अगस्त, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, रायपुर के समक्ष दिनांक 22.09.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.12.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर समयावधि में निर्णय नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 02.02.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलार्थी ने यह त्रुटि की है कि आवेदन एवं अपीलकर्ता दोनों अलग–अलग व्यक्ति है और सूचना का आवेदन श्री धर्मेन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रथम अपील श्री अजय मिश्रा, अधिवक्ता द्वारा की गई है और प्रकरण में किसी प्रकार का अधिकार पत्र अथवा अभिभाषक पत्र भी नहीं दिया गया है, अतः भविष्य में अपीलार्थी इस संबंध में सर्तकता बरते, किन्तु चूंकि दोनों आवेदन की विषय–वस्तु एक ही है, अतः प्रकरण में कार्यवाही की गई। प्रकरण में अपीलार्थी को जो जानकारी दी गई थी, उसे अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण बताया गया था, अतः जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 19.06.2009 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत उत्तर में उन्होंने बताया कि रिकार्ड संबंधी जानकारी पटवारी से प्राप्त कर उपलब्ध करा दी गई है, अगर भूमि के संबंध में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय में नियमानुसार सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पटवारी से जानकारी प्राप्त होने में विलंब हुआ है, इसलिए उन्होंने क्षमा चाही है। प्रकरण में श्री बलराम कश्यप के खसरा नंबर–211 एवं 234 के बीच के स्थल में रास्ता होने अथवा उस पर अतिकमण होने के संबंध में जानकारी चाही गई है। अपीलार्थी ने यह भी बताया है कि इस संबंध में दो बार सीमांकन हुआ है और दोनों बार अलग–अलग जानकारी दी गई है, प्रथम सीमांकन दिनांक 01.07.2008 को किया गया था और द्वितीय सीमांकन दिनांक 22.10.2008 को किया गया है। दोनों सीमांकनों में विरोधाभाष और अस्पष्टता होना प्रकट होता है। अतः अब तसीलदार, रायपुर को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने समक्ष में अपीलार्थी और उसके आस–पास के खातेदारों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक से पुनः सीमांकन करावें और उसके बाद जो स्थिति सामने आती हो, वह स्पष्ट रूप से चाही गई जानकारी के रूप में अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावे। इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो अपीलार्थी से विधिवत न्यायालय में आवेदन भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रकरण में चूंकि कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद दिया गया है, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 200/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com